... तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि बिक्री अनुमति वाद सं०–147/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री सरयु राम—विक्रेता
प्रति
श्रीमती निलम देवी —क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री सरयु राम, पिता–स्व० रामदेव राम, ग्राम–कल्याणपुर, पोस्ट–कल्याणपुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती निलम देवी, पति श्री सतीश कुमार, ग्राम–बलियारी, पोस्ट–सेमौरा, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन–पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई।

उप समाहर्ता भूमि सुधार गढ़वा के पत्रांक 105 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी II के पृष्ट सं०–22/II पर मांग चलता है। विक्रेता जाति के चन्द्रवंशी–कहांर (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति चन्द्रवंशी–कहांर (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी है। विक्रेता प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

उप समाहर्ता भूमि सुधार गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री सरयु राम, पिता–स्व० रामदेव राम, ग्राम–कल्याणपुर, पोस्ट–कल्याणपुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा को क्रेता श्रीमती निलम देवी, पति श्री सतीश कुमार, ग्राम–बलियारी, पोस्ट–सेमौरा, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की बिक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत बिक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
कल्याणपुर	230	12	1775	0.05	उ०–मौटाआर, द०–मन्टु कुमार, पू०–सत्यानारायण प्रसाद , प०–मौटाआर
			कुल रकबा:–	0.05	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 02.4.22
अपर समाहर्ता
गढ़वा

(हस्ताक्षर) 02.4.22
अपर समाहर्ता
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:14:49 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner